पेयजल योजनाओं के विद्युत बिलों के भुगतान बाबत

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141–2227884, ई–मेल Seprd123@gmail.com

क्रमांकः– एफ 4 (244) पराविं/पीसी/जजयो/विद्युत व्यय/2016/615 जयपुर, दिनांकः– 15.8.17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त।

विषयः– पेयजल योजनाओं के विद्युत बिलों के भुगतान बाबत।
संदर्भः– विभागीय पत्रांक 854 दिनांक 07.05.2015 पत्रांक 1234 दिनांक 24.06. 2015 पत्रांक 1528 दि. 03.08.2015 पत्रांक 2334 दि. 04.12.2015 पत्रांक 1011 दि. 28.04.2016, 2368 दि. 1.8.2016, 2672 दि. 23.8.2016, पत्रांक 4183 दिनांक 13.10.2016 एवं पत्रांक 4527 दिनांक 24.11.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि अध्यक्ष विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने पत्र दि. 28.2.2017 के द्वारा यह अवगत कराया है कि ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल योजनाओ के विधुत बिलो के पेटे पंचायती राज संस्थाओ के नाम लगभग 121 करोड रू. बकाया है। संदर्भित पत्रों एवं समीक्षात्मक बैठकों के दौरान लगातार निर्देशित किया जाता रहा है कि ग्राम पंचायतो द्वारा पेयजल योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान उनको प्राप्त अनुदान राशि से किया जायेगा।

विभागीय पत्र कमांक 854 दिनांक 07.05.2015 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिए हुये है, कि सरपंच द्वारा चेक पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति में विकास अधिकारी द्वारा चेक पर हस्ताक्षर किये जावे [पंचायती राज नियम 1996 का नियम 211(2)]। दिनांक 31.1.2017 को पंचायती राज संस्थाओं के पास 2361 करोड से अधिक की अनुदान राशि अवशेष है (जिलेवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है) तथा वर्ष 2016–17 की एसएफसी पंचम की द्वितीय किश्त में रूपये 1453.81 करोड की राशि शीघ्र ही हस्तान्तरित की जावेगी। इसके अतिरिक्त PHED से हस्तान्तरित जनता जल योजनाओं के विद्युत बिलो के भुगतान हेतु वर्ष 2015–16 में SFC मद में राशि रूपये 181.81 करोड जारी की गई थी जिसमें से जिलों के पास माह अप्रेल 2016 में लगभग 90 करोड रूपये अवशेष थी। **इस प्रकार पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी विद्युत बिलो की बकाया राशि का भुगतान नही होना विभागीय आदेशों की अवहेलना दर्शाता है एवं खेदजनक है।**

इस कम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि

1. विकास अधिकारी द्वारा सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता डिस्कॉम से ग्राम पंचायत वार बकाया दायित्वों की नवीनतम सूचना प्राप्त कर संबंधित ग्राम सेवक को तत्काल उपलब्ध कराई जावे एवं सहायक अभियन्ता, डिस्कोम, विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत समन्वय स्थापित किया जावे।

2. स्वयं ग्राम पंचायतों द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं, ग्राम पंचायतों की सहमति/ अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर या अन्य विकास योजनाओं में पीएचईडी द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं (जो स्थापना के पश्चात् संचालन हेतु ग्राम पंचायतो को सुपूर्द कर दी गई है अथवा सुपूर्द नही की गयी है किन्तु ग्रामीण जनता द्वारा इनसे लाभ लिया जा रहा है) के विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा तत्काल किया जावे।

3. **ग्राम पंचायत के पास SFC/FFC मदों में अनुदान राशि उपलब्ध होने पर भी भुगतान नही होने पर इसे विकास अधिकारी की शिथिलता माना जावेगा। सरपंच द्वारा चैक पर हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में विकास अधिकारी चेक पर हस्ताक्षर करेगें।**

4. जिन बिलों की राशि या विद्युत कनेक्शन पर कोई विरोधाभाष नही है, उनका तत्काल भुगतान किये जावे। यदि पंचायत को यह प्रतीत होता है कि प्राप्त विद्युत बिलो की राशि अधिक है तो अनुमानित व्यय के आधार पर देय राशि का भुगतान तत्काल डिस्कॉम को किया जावे। विद्युत बिलों के भुगतान अथवा बिल राशि में किसी प्रकार का विरोधाभाष/संशोधन अपेक्षित होने पर अधीक्षण अभियन्ता, डिस्कॉम, SE PHED एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा कर समस्या का निस्तारण किया जावे।

5. यदि कोई जल स्त्रोत निजी उपयोग में लिया जा रहा है या उसका दुरूपयोग हो रहा हो तो उसका चिन्हीकरण किया जावे एवं तत्काल विधुत कनेक्शन विच्छेद किया जावे एवं इसकी स्वीकृति व स्थापना करने वालों से जल स्त्रोत की लागत राशि एवं बकाया विद्युत बिलो की वसूली की जावे।

6. भविष्य में पेयजल योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित अवधि में सुनिश्चित किया जावे। समय पर भुगतान न होने की स्थिति में डिस्कॉम द्वारा पेयजल स्त्रोत का कनेक्शन विच्छेद कर दिये जाने पर इसका उत्तरदायित्व पंचायत का होगा। विलम्ब से भुगतान करने पर देय सरचार्ज /पेनल्टी सम्बन्धित ग्राम सेवक व सरपंच द्वारा व्यक्तिशः वहन की जावेगी।

7. जिनके जल स्त्रोत सूख गये है अथवा योजना अनुपयोगी हो गई है, के विधुत कनेक्शन तत्काल विच्छेद करावे।

8. जो योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हो गई है किन्तु बिजली के बिल पीएचईडी के नाम से प्राप्त हो रहे है, उनके विद्युत कनेक्शन शीघ्र ग्राम पंचायतों के नाम कराये जावें।

9. दिनांक 1.4.2011 से PHED से हस्तान्तरित 6523 जनता जल योजनाओं के विद्युत बिलों के भुगतान हेतु जिला परिषदो को वर्ष 2015–16 में राशि रूपये 181.81 करोड हस्तान्तरित की गई थी जिसमें से बकाया देयताओं का भुगतान करने के पश्चात् वर्ष 2016–17 में लगभग राशि रूपये 90 करोड अवशेष उपलब्ध थी। उक्त अवशेष राशि से जनता जल योजनाओं के चालू वर्ष में प्राप्त विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल किया जावे। वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं आगे राज्य स्तर से पृथक से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।

10. ऐसी कोई भी पेयजल योजनाएं/जल स्त्रोत जिनसे ग्राम पंचायत द्वारा जनता को पेयजल वितरित किया जा रहा है परन्तु जिन पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिक रूप से विधुत कनेक्शन नहीं लिया गया है, पर तत्काल कनेक्शन के लिए आवेदन किया जावे। विद्युत वितरण निगम द्वारा अवैध कनेक्शन पाये जाने पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्य करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का होगा (विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक 4527 दिनांक 24.11.16)।

11. डिस्कॉम द्वारा बिल भुगतान के अभाव में पेयजल योजनाओं के विधुत कनेक्शन विच्छेद करने अथवा **अवैध कनेक्शन** के कम में यदि विधिक कार्यवाही की जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरपंच/सचिव का होगा तथा विकास अधिकारी कमजोर पर्यवेक्षण के लिए दोषी होंगे।

आपसे अनुरोध है कि तत्काल एक अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओ के विरूद्ध बकाया राशि का यथासम्भव दिनांक 30.3.17 से पूर्व भुगतान कराते हुये उक्त निर्देशों की नियमित पालना सुनिश्चित करावे। बिन्दु संख्या 3 के अनुसार कार्यवाही करते हुये बिलो का भुगतान नहीं होने पर दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए शेष राशि का शीघ्रतिशीघ्र भुगतान करावे। किसी भी समस्या या स्पष्टीकरण के कम में आपके सुझाव rajpr.sep@rajasthan.gov.in & seprd123@gmail.com पर भेजे।

भवदीय

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, चैयरमेन, डिस्कॉम।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उर्जा विभाग।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता